REVIEW OF RESEARCH
IMPACT FACTOR : 5.7631(UIF) UGC APPROVED JOURNAL NO. 48514 ISSN: 2249-894X
VOLUME - 8 | ISSUE - 4 | JANUARY - 2019

बाल यौन शोषण : चुप्पी तोड़ो, खुल कर बोलो..अब नहीं, कभी नहीं

कुमार आशीष
भा. पु. से. , पुलिस अधीक्षक, किशनगंज , बिहार कैडर.

प्रस्तावना :

आये दिन देश भर में छोटे बच्चों- बच्चियों के साथ यौन शोषण- उत्पीडन के काफी ज्यादा मामले प्रकाश में आ रहे हैं. ज्यादातर ऐसे मामलों में कुकृत्य करनेवाले अपने खास, जान पहचान, रिश्तेदार अथवा स्कूल के कर्मचारियों इत्यादि लोग ही होते हैं. ऐसी हृदयविदारक घटनाएँ ना सिर्फ एक सभ्य समाज के लिए धब्बा है, बल्कि ये हमारी अंतरात्मा को भी झकझोर देती हैं. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार (Ministry of Women and Child Development; Government of India, Study on child abuse India,2007, from: http://www.wcd.nic.in/childabuse.pdf) के एक सर्वे के अनुसार, जिसमे 17,220 बच्चों के सर्वेक्षण से ये बात उभर कर सामने आई की देश में प्रत्येक दूसरा बच्चा बाल यौन शोषण का शिकार हुआ है जिसमे 52 .94 % लड़के थे, और 47.06 % लड़कियां थी. सबसे ज्यादा बाल यौन शोषण की घटनाएँ क्रमश: आसाम (57.27%), दिल्ली (41%), आंध्र प्रदेश (33.87%) और बिहार (33.27%) में रिपोर्ट हुई हैं. NCRB के आंकड़ों के मुताबिक भी विगत कई वर्षों से बाल यौन शोषण के अपराधों में लगातार वृद्धि दर्ज होती जा रही है.

समाज में ऐसी घटनाओं पर चुप्पी साधे रखना भी एक बड़ी समस्या है और ऐसी ही अवधारणा है की घर की चारदीवारी से बाहर ऐसी बाते जाने ना पाए- वरना लोग क्या कहेंगे? परिवार की बदनामी हो जाएगी? समाज में हम कैसे मुंह दिखायेंगे? आज भी लोग बाल- यौन शोषण की समस्या पर बात करने में असहज महसूस करते हैं. विभिन्न सर्वेक्षणों के मुताबिक ३४% बच्चों के साथ इस अपराध में उनके घर का ही कोई व्यक्ति संलिप्त होता है, ५९% घटनाओं में परिवार के विश्वसनीय समझे जाने वाले पारिवारिक मित्र या हितैषी ही ऐसी हरकत करते हैं. यौन शोषण के अधिकतर मामलों में बच्चों की उम्र ०९ साल से कम पायी गयी है- यानी की ऐसे बच्चे शिकार बनते हैं जिन्हें भले या बुरे की समझ बहुत कम होती है. कई मामलों में घर-परिवार के बड़े बच्चों द्वारा छोटे बच्चों के यौन शोषण की बात भी सामने आई है. इस तरह की घटनाएँ जल्दी प्रकाश में नहीं आ पाती जो की इनकी पुनरावृति को बढ़ावा देता है. कच्ची उम्र में ऐसे घृणित अपराधों का शिकार बने बच्चों के व्यक्तित्व का विकास कुंठित हो जाता है और बचों के कोमल मन मस्तिष्क में अपरिवर्तनीय मानसिक एवं भावनात्मक विकारों का बीजारोपण होता है जो आगे जाकर इन्हें जघन्य अपराध की दुनिया में भी धकेल सकता है. आगे चलकर ऐसे पीड़ित अपराध, अवसाद, ड्रग्स-नशा, एकाकीपन तथा आत्महंता परिस्थिति में भी ला सकता है. ऐसी खबरे हमें विचलित कर रही है. जरुरत हो गयी है की अब हम इन शोषित पीड़ित बच्चों के अधिकारों की रक्षा के उन्हें एक स्वस्थ्य माहौल दें जिसमें वो बड़े होकर एक बेहतर समाज की नींव रख सकें.

जागरूकता फैलाना इसके लिए सबसे पहली कड़ी साबित हो सकती है- गैर सरकारी संस्थाएं , जागरूक नागरिक संगठन, नए और प्रभावी कड़े कानून, पुलिस की ससमय कठोर कारवाई, मीडिया की पहल तथा सोशल मीडिया के जरिये इस बारे में चेतना फ़ैला कर एक नया परिवेश बनाने की कोशिश जैसे उपायों से इस समस्या को सुलझाने की सार्थक पहल की जा सकती है. सोशल मीडिया पर सकारात्मक रूप से इसके विभिन्न

आयामों और पहलुओ को समझने के लिए विभिन्न स्तरों पर खुल कर चर्चा की जा रही है. इन्टरनेट के विस्तृत प्रसार और पहुँच ने इस चर्चा में धीरता और गंभीरता लायी है. कुछ दिन पहले के सोशल मीडिया के "**मी टू**" कैंपेन के जरिये दुनिया भर की महिलाओं और पीड़ितों ने अपने साथ हुए बाल शोषण की आपबीती साझा की है जो रोंगटे खड़े कर देने वाली है. भारत से भी इस अभियान बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया गया था और इसके माध्यम से समाज को ये बताया गया की ये समस्या किसी एक वर्ग-जाति- समुदाय या लिंग तक ही सीमित नहीं है बल्कि इसका रूप अब सार्वभौमिक होता जा रहा है.

जरुरत अब बच्चों को लैंगिक शिक्षा शुरूआती स्तर से ही देने की है. बालकों और विशेष रूप से बालिकाओं को अब सहने या नजरअंदाज करने की परिसीमा में नहीं बाँधने की जरुरत है. इन्ही वजह से यह घृणित अपराध हमारे घर, पड़ोस और समाज में सुरसा की भांति मुंह फैलाता चला जा रहा है. जरुरत है इससे नहीं डरने की, इससे नहीं दबाने की, और खुलकर आवाज़ उठाने की. जरुरत है इसके लिए बहुआयामी प्रयासों की ताकि समय रहते इस विकट समस्या को काबू किया जा सके. जरुरत है बच्चों को "**गुड टच और बैड टच**" में फर्क समझाने की, बार बार कोई परिचित चॉकलेट या अन्य कोई प्रलोभन दें, तो उसको अपने माँ-बाप को बताने की, कुछ भी अलग सा महसूस हो तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाने की, **"NO"** कह सकने की, क्योंकि NO सिर्फ एक शब्द नहीं है, एक पूरा वाक्य है, पूरी कहानी है, पूरी हिम्मत है - किसी भी तरह के अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाने की.

साथ ही सावधानी बरतें की बच्चों को किसी परिचित या पारिवारिक मित्र के पास अकेला ना छोड़े, बल्कि ऐसी जगह छोड़े जहाँ और भी लोग मौजूद रहें, साथ ही अगर किसी की निगरानी में आपने अपने बच्चे को छोड़ा है तो खुद औचक निरीक्षण जरुर करें. आपके बच्चे इन्टरनेट या सोशल मीडिया पर क्या कर रहे हैं, इसकी निगरानी भी करते हैं, बहुधा इन माध्यमों से भी लोग बच्चों को बहलाने फुसलाने का कार्य करते हैं. जो लोग बच्चों का यौन शोषण करते हैं, उनके आचार व्यवहार में कोई अंतर नहीं प्रतीत होता, बल्कि वो अपने आप को ज्यादा विश्वसनीय और इज्ज़तदार प्रतीत करवाने में अक्सर सफल होते हैं.

सभी माता-पिता अपने बच्चों को अपना दोस्त बनायें ताकि अपना सुख दुःख वो आपसे शेयर कर सकें. यदि बच्चे उनके साथ हुए किसी प्रकार के शोषण के बारे में बताते हैं तो उनकी बात ध्यान से सुने, उनकी बातों को महत्व दें और उन पर विश्वास करे, उन्हें बताएं की जो कुछ भी उनके साथ हुआ है उसमे उनकी कोई गलती नहीं बल्कि वो निर्दोष है और दोषियों पर पुलिस कड़ी कारवाई करेगी ये भी बतायें . उन्हें चाइल्ड हेल्पलाइन और डायल १०० के बारे में भी जानकारी दें. प्रतिदिन बच्चे से पूछे की जब वे स्कूल जाते हैं तो बस ड्राईवर- कंडक्टर या अन्य कोई स्टाफ उनसे कैसा व्यवहार करता है? किसी ने कुछ गलत कहा या किया ? टॉयलेट जाते हैं तो कोई पीछे पीछे तो नहीं आता? स्वीपर या गार्ड तो अन्दर मौजूद नहीं होते? टीचर कैसे व्यवहार करते है? क्या आज कुछ गलत या अजीब तो महसूस नहीं हुआ ? कोई अन्य प्रॉब्लम तो नहीं? घर हो या बाहर, कभी कोई भी गलत करने को कहे तो बिलकुल उसकी बात मत मानो और तुरंत हमें खबर करो. हमलोग तुम्हारे साथ है, तुम बिलकुल भी अकेले नहीं हो.

बिहार के हर पुलिस थाने में एक वरीय पुलिस पदाधिकारी को चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर के रूप में नामित किया गया है जिसकी सूचना थाने के सूचनापट पर लगी होती है, आप निसंकोच उनसे संपर्क कर सकते हैं, साथ ही हर जिले में पुलिस उपाधीक्षक(मुख्यालय) को इसके लिए नामित किया गया है जो जिले भर के ऐसी शिकायतों को खुद देखते हैं और त्वरित कारवाई सुनिश्चित करवाते हैं. पीड़ित बच्चे के माता-पिता या वे व्यक्ति जिन्हें ऐसे अपराध होने की जानकारी होती है, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है की वे इस घटना को छुपाये नहीं और ना ही इसका न्यूनीकरण करें, तत्काल इसकी सूचना नजदीकी थाने में, डायल 100 और चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर दें. सूचना देनेवाले का नाम, पता और अन्य डिटेल्स पूर्णत: गोपनीय रखा जाता है. उपरोक्त दोनों नंबर नि:शुल्क है. अत: जागरूक बने और जिम्मेदार नागरिक होने का परिचय दें, पुलिस और चाइल्ड लाइन को बाल अपराधों को रोकने तथा कठोर कारवाई करने के लिए आपके विशेष सहयोग की आवश्यकता है.

बच्चों के हित को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा एक विशेष अधिनियम **POCSO एक्ट 2012** बनाया गया है. POCSO शब्द अंग्रेजी से आता है। जिसका फुल फॉर्म है- प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्राम सेक्सुअल अफेंसेस एक्ट 2012 अर्थात् लैंगिक उत्पीड़न से बच्चों के संरक्षण का अधिनियम 2012. पॉक्सो एक्ट के तहत नाबालिग बच्चों के साथ होने वाले अपराधों के मामलों में कार्रवाई की जाती है। इसके तहत बच्चों को यौन उत्पीड़न, यौन शोषण और पोर्नोग्राफी जैसे गंभीर

अपराधों से सुरक्षा प्रदान की जाती है। 14 नंबवर 2012 अर्थात बाल दिवस पर लागू किये गए इस पॉक्सो एक्ट के तहत अलग-अलग अपराध के लिए अलग-अलग सजा का प्रावधान है। जिसका सख्ती से पालन किया जाना भी सुनिश्चित किया गया है।

पॉक्सो कानून के तहत सभी अपराधों की सुनवाईबंद कमरे में एक विशेष न्यायालय द्वारा कैमरे के सामने बच्चे के माता पिता या जिन लोगों पर बच्चा भरोसा करता है, उनकी उपस्थिति में होती है और इस दौरान बच्चे की पहचान गुप्त रखना भी जरूरी है। स्पेशल कोर्ट, उस बच्चे को दिए जाने वाली मुआवजे की राशि भी तय कर सकता है।

बच्चे की मेडिकल जांच के लिए पुलिस की यह जिम्मेदारी बनती है कि मामले को 24 घंटे के अन्दर बाल कल्याण समिति की निगरानी में लाये ताकि CWC बच्चे की सुरक्षा और संरक्षण के लिए जरूरी कदम उठा सके। इस अधिनियम में बच्चे की मेडिकल जांच के लिए प्रावधान भी किए गए हैं, जो कि इस तरह की हो ताकि बच्चे के लिए कम से कम पीड़ादायक हो। मेडिकल जांच बच्चे के माताया किसी अन्य व्यक्ति की उपस्थिति में किया जाना चाहिए पिता-, जिस पर बच्चे का विश्वास हो, और पीड़ित अगर लड़की है तो उसकी मेडिकल जांच महिला चिकित्सक द्वारा ही की जानी चाहिए।

यदि किसी बच्चे का यौन शोषणहुआ है और अभियुक्त भी किशोर ही है तो उसपर किशोर न्यायालय में केस चलाया जाएगा। इस एक्ट में ये भी नियम है कि यदि कोई व्यक्ति यह जानता है कि किसी बच्चे के साथ गलत कृत्य हुआ तो उसके इसकी रिपोर्ट नजदीकी थाने में देनी चाहिए, यदि वो ऐसा नहीं करता है तो उसे 6 महीने तक की जेल हो सकती है।कोई पुलिस कर्मी, टीचर, हॉस्पिटल स्टाफ या फिर कोई ऐसा, जिसकी हिफाजत में बच्चा हो , अगर वह बच्चे के साथ पेनेट्रेटव सेक्सुअल असॉल्ट करता है, दो या ज्यादा लोग मिलकर ऐसी हरकत करते हैं, हथियार के बल पर ऐसा किया जाता हो तो ऐसे मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद मुजरिम को 10 साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा हो सकती है। अगर कोई बच्चों का इस्तेमाल पोर्नोग्राफी के लिए कहता है तो यह और भी गंभीर अपराध है। ऐसे मामले में उम्रकैद हो सकती है.

इन विशेष प्रावधानों की गंभीरता से स्पष्टतया परिलक्षित है की कानून आपकी सहायता के लिए तत्पर है बशर्ते आप इन नियमों को जाने और इनका समुचित तथा विधिसम्मत प्रयोग तथा उपयोग करें. वक़्त आ गया है जब हम अपनी शिथिल मानसिकता का परित्याग करें और आस-पास हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाये क्योंकि आज अगर आपशांत रह गए तो हो सकता है ऐसे अपराधियों का अगला शिकार आप या आपका परिवार हो. अपराध नियंत्रण सिर्फ पुलिस-प्रशासन तक ही सीमित नहीं है बल्कि इसका दायरा समाज के हरेक तबके से जुडा हुआ है. अपराध नियंत्रण को लेकर एक जनांदोलन की आवश्यकता है जिसमे हर नागरिक अपने अधिकारों के साथ साथ अपने दायित्वों के प्रति भी जागरूक होकर अपने कर्तव्य निभाए.

कुमार आशीष
भा. पु. से. , पुलिस अधीक्षक, किशनगंज , बिहार कैडर.